

स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र पर
प्रशिक्षण मार्गदर्शिका



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान”

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

www.bihan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	अनुक्रमणिका	02
2	समय सारणी	03
3	परिचय सत्र	04
4	अपेक्षा एवं उद्देश्य	05
5	”बिहान” का उद्देश्य	06
6	स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र	07
7	नियमित साप्ताहिक बैठक	08-16
8	नियमित साप्ताहिक बचत	
9	नियमित आंतरिक लेनदेन	
10	नियमित उधार वापसी	
11	नियमित पुस्तक संधारण	
12	स्वच्छ समूह	
13	शिक्षित समूह	
14	नशामुक्त समूह	
15	स्वस्थ समूह	
16	सुपोषित समूह	
17	सशक्त समूह (ग्राम सभा में सहभागिता)	
18	मूल्यांकन एवं समापन	17

स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र प्रशिक्षण की रूपरेखा

क्रमांक	समय	विषय-वस्तु	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण सामग्री
प्रथम दिवस				
1	20 मिनट	परिचय सत्र	खेल	खेल
2	15 मिनट	अपेक्षा एवं उद्देश्य	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट
3	15 मिनट	”बिहान” का उद्देश्य	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट
4	20 मिनट	स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र	सहभागी चर्चा, उदाहरण	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
5	20 मिनट	नियमित साप्ताहिक बैठक	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
6	20 मिनट	नियमित साप्ताहिक बचत	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
7	20 मिनट	नियमित आंतरिक लेनदेन	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
8	20 मिनट	नियमित उधार वापसी	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
9	20 मिनट	नियमित पुस्तक संधारण	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
10	30 मिनट	स्वच्छ समूह	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
11	30 मिनट	सुशिक्षित समूह	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
12	30 मिनट	नशामुक्त समूह	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
13	30 मिनट	स्वस्थ समूह	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
14	30 मिनट	सुपोषित समूह	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
15	30 मिनट	सशक्त समूह (ग्राम सभा में सहभागिता)	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र
16	15 मिनट	मूल्यांकन एवं समापन	सहभागी चर्चा	बोर्ड, मार्कर, चार्ट, चित्र

चाय एवं भोजन अवकाश
11:00 से 11:20 – अवकाश
01:30 से 02:30 – अवकाश
04:00 से 04:20 – अवकाश

परिचय सत्र

उद्देश्य - प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त करना, सहज एवं सरल माहौल का निर्माण करना।

विधि - सहभागी चर्चा, खेल

आवश्यक सामग्री - बोर्ड, बोर्ड मार्कर, रंगीन कार्ड शीट, टेप।

- प्रशिक्षक द्वारा दो-दो प्रतिभागियों की जोड़ी बनाकर उनसे एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत, पारिवारिक, काम एवं अनुभव से जुड़ी जानकारी हासिल करने और उसे प्रस्तुत करने के लिये कहते हैं। (जिसमें नाम, उम्र, शिक्षा, काम, उपलब्धि, सबसे कठिन काम, पसन्द-नापसन्द, पारिवारिक जानकारी आदि)।
- परिचय सत्र से प्रतिभागियों की झिझक खत्म होती है। प्रशिक्षण में सीखने-सीखाने का एक माहौल बनने की शुरुआत होती है। एक साथ सबको सबके बारे में जानकारी हासिल होती है।
- प्रशिक्षक को परिचय सत्र में कई उपयोगी जानकारी हासिल होती है, जिसका उपयोग वह सत्रों के संचालन, समूहों के निर्माण, जिम्मेदारियों के बटवारों आदि में कर सकता है।
- परिचय सत्र एक औपचारिकता की गतिविधि नहीं है, बल्कि कुशलता से संचालन किये जाने वाली गतिविधि होती है। इससे प्रतिभागियों का स्तर पता चलता है एवं सत्र संचालन हेतु मदद मिलती है।

अपेक्षा एवं उद्देश्य का निर्धारण

उद्देश्य - प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ जानना एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य पर समझ बनाना।

विधि - सहभागी चर्चा।

आवश्यक सामग्री - बोर्ड, बोर्ड मार्कर, रंगीन कार्ड शीट, टेप।

- अपेक्षाएँ जानने से प्रतिभागियों के मन की शंकाएं/सवाल या वे क्या जानने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, यह जाना जा सकता है।
- प्रतिभागियों की अपेक्षा जानकर उन पर चर्चा करके प्रशिक्षण में शामिल की जाने वाली अपेक्षा जोड़कर, प्रशिक्षण को और ज्यादा प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जाता है।
- अपेक्षाओं को जानने से वर्तमान में प्रतिभागी किस स्तर पर हैं एवं प्रशिक्षण से क्या सीखना चाहते हैं, कि जानकारी प्राप्त होती है।
- प्रशिक्षक प्रतिभागियों को कार्ड/पेपर पर अपेक्षाएँ लिखने के लिये बोलते हैं।
- सभी प्रतिभागियों की कार्ड शीट पर लिखी अपेक्षाएँ प्रशिक्षक के पास आने पर, प्रशिक्षक उन्हें विषयवार वर्गीकृत करता है और उन पर चर्चा करता है।
- इसी क्रम में प्रशिक्षक पूर्व में तैयार प्रशिक्षण डिजाइन प्रतिभागियों को बताता है और इस सत्र में प्रतिभागियों से निकली कितनी अपेक्षाएँ उसमें शामिल करता है। अंत में पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपेक्षा एवं क्या उद्देश्य हासिल करना है को साझा करता है। अपेक्षाओं की अंतिम सूची अवश्य ही चार्ट अथवा कार्डशीट पर लिख कर रखना चाहिए।

“बिहान” का उद्देश्य

उद्देश्य - प्रतिभागियों का “बिहान” कार्यक्रम के उद्देश्य पर समझ बनाना।

विधि - सहभागी चर्चा।

आवश्यक सामग्री - बोर्ड, बोर्ड मार्कर, रंगीन कार्ड शीट, टेप।

प्रशिक्षक को परियोजना का नाम क्या है, प्रश्न पूछना चाहिए, फिर उत्तर को बोर्ड में लिख लेना चाहिए, तदुपरांत विस्तार से चर्चा करना चाहिए।

यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में “बिहान” के नाम से संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न समस्त जिलों के विकासखण्डों के गांवों में गरीब, अति गरीब महिलाओं एवं वंचित समुदाय को स्व-सहायता समूह गठन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। समूह गठन उपरांत उच्च स्तरीय फंडेशन यथा ग्राम संगठन, संकुल संगठन, विकासखण्ड संगठन आदि का गठन किया जाता है।

“बिहान” का उद्देश्य:- “बिहान” कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुदृढीकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है, परंतु इसके अलावा कुछ सहायक उद्देश्य भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं -

- ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूह से जुड़ने हेतु जागरूक करना।
- सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूह में जोड़ना।
- गरीबों की सशक्त संस्थाओं का निर्माण एवं क्षमतावर्धन करना: स्व-सहायता समूह एवं उच्च स्तरीय फंडेशन/परिसंघ (ग्राम संगठन, संकुल संगठन, विकासखण्ड संगठन आदि) का निर्माण।
- वित्तीय समावेशन के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना।
- गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर संवहनीय आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना।
- अभिसरण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने एवं लाभ प्राप्ति हेतु अवसर उपलब्ध करवाना।

स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र

उद्देश्य - प्रतिभागियों का स्व-सहायता समूह के 11 सूत्र पर समझ बनाना।

विधि - सहभागी चर्चा, उदाहरण।

आवश्यक सामग्री - बोर्ड, बोर्ड मार्कर, रंगीन कार्ड शीट, टेप, चित्र।

प्रशिक्षक को सर्वप्रथम स्व-सहायता समूह के ग्यारह सूत्र के बारे में प्रतिभागियों से पूछना चाहिए, जवाब आने के उपरांत उसको क्रमवार लिखकर वर्गीकृत करना चाहिए।

(अ) आर्थिक स्थायित्व (विकास) हेतु:- स्व-सहायता समूह में आर्थिक स्थिरता लाने हेतु निम्नलिखित पाँच सूत्र का पालन करना होता है।

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1- नियमित साप्ताहिक बैठक | 2- नियमित साप्ताहिक बचत |
| 3- नियमित आंतरिक लेनदेन | 4- नियमित उधार वापसी |
| 5- नियमित पुस्तक संधारण | |

(ब) सामाजिक सशक्तिकरण (विकास) हेतु:- स्व-सहायता समूह में सामाजिक सशक्तिकरण लाने हेतु निम्नलिखित छः सूत्र का पालन करना होता है।

- | | |
|------------------|---|
| 6- स्वच्छ समूह | 7- सुशिक्षित समूह |
| 8- नशामुक्त समूह | 9- स्वस्थ समूह |
| 10- सुपोषित समूह | 11- सशक्त समूह (ग्राम सभा में सहभागिता) |

1- नियमित साप्ताहिक बैठक :- स्व-सहायता समूह में नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक नहीं होने से निम्नानुसार नुकसान होते हैं :

- सदस्यों का बचत जमा करने में दिक्कत होती है।
- जरूरत के समय ऋण नहीं मिल पाता है।
- समूह के लेन-देन और सदस्यों को दिये गये ऋण की जानकारी सभी को याद नहीं रहती है।
- नेतृत्व क्षमता का विकास धीमी गति से होता है।
- समूह की निधि बढ़ने की रफतार धीमी हो जाती है।
- सदस्यों को चर्चा के लिये कम अवसर प्राप्त होता है।

सदस्यों की भूमिका :

- समूह की बैठक में नियमित रूप से समय पर आना है।
- समूह की चर्चा में हिस्सा लेना है।
- बैठक समाप्त होने पर हस्ताक्षर करके जाना है।
- समूह के निर्णय को स्वीकार करना है।

समूह की भूमिका :

- सदस्यों को बैठक पूर्व सूचना देना है।
- बैठक का आयोजन उपयुक्त स्थल में होना चाहिए।
- सर्वसम्मति से निर्णय लेना है।
- चक्रानुसार बैठक का आयोजन सदस्यों के घर पर करना है।



2- नियमित साप्ताहिक बचत :- समूह में नियमित रूप से साप्ताहिक बचत नहीं होने से निम्नानुसार नुकसान होता है :

- बचत करने हेतु कम अवसर मिलता है।
- सदस्य कम बचत कर पाती हैं।
- समूह का कोष धीरे धीरे बढ़ता है।
- महाजन, सेठ, साहुकार के शोषण से मुक्ति नहीं मिलती है।
- समूह की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।
- फिजूल खर्च में कमी नहीं आती है।

सदस्यों की भूमिका :

- बचत राशि को बैठक में जमा करना है।
- नियमित रूप से बचत जमा करना है।
- व्यक्तिगत पास पुस्तक में लिखवाना चाहिए।



समूह की भूमिका :

- अति गरीब सदस्य की क्षमतानुसार बचत का निर्धारण करना है।
- बचत को बैठक में ही जमा लेना है।
- बचत होने उपरांत पुस्तक में लिखवाना चाहिए।
- समूह में एक समान बचत राशि होना चाहिए।

3- नियमित आंतरिक लेन-देन :- समूह में उपलब्ध कोष का नियमित रूप से सदस्यों के बीच में आंतरिक लेन-देन नहीं होने से निम्नानुसार नुकसान होता है :


- समूह के पूँजी (कोष) का प्रचलन नहीं होता है।
- जरूरतमंद सदस्य को ऋण प्राप्त नहीं होता है।
- सभी सदस्य को ऋण प्राप्ति का अवसर नहीं मिलता है।
- राशि बैंक में रहने से बैंक को फायदा होता है।
- सदस्य को बाहर से ऋण लेना पड़ता है।

सदस्यों की भूमिका :

- सदस्यों को आवश्यकता की पूर्ति हेतु आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराना।
- आवश्यकतानुसार समूह से ऋण लेना चाहिए।
- ऋण बैठक में ही लेना है।
- ऋण प्राप्ति उपरांत व्यक्तिगत पास पुस्तक में लिखवाना चाहिए।
- आजीविका हेतु एमसीपी के माध्यम से बड़ा ऋण लेना चाहिए।

समूह की भूमिका :

- ऋण का वितरण समूह में ही होना चाहिए।
- अति गरीब को पहले ऋण देना चाहिए।
- बाहरी संस्थाओं से ऋण प्राप्ति हेतु एमसीपी तैयार करना चाहिए।
- बैंक में कम से कम राशि जमा रखना चाहिए।



4- नियमित ऋण वापसी :- समूह में सदस्यों द्वारा लिये गये ऋण का नियमित रूप से ऋण वापसी नहीं होने से निम्नानुसार नुकसान होता है :


- समूह के पूँजी (कोष) में वृद्धि नहीं होती है।
- कम ब्याज प्राप्त होता है।
- बड़ा ऋण लेने हेतु सदस्यों का हौसला नहीं बढ़ता है।
- सदस्यों में विश्वास नहीं बढ़ता है।
- अन्य सदस्यों को ऋण प्राप्ति हेतु कम अवसर मिलता है।

सदस्यों की भूमिका :

- बैठक में ही किस्त एवं ब्याज जमा करना है।
- नियमित रूप से ऋण वापसी करना है।
- किस्त जमा नहीं होने कि स्थिति में ब्याज जमा करना है।
- व्यक्तिगत पास पुस्तक में लिखवाना चाहिए।

समूह की भूमिका :

- बैठक के दौरान ही ऋण वापसी की राशि को लेना है।
- सदस्यों के पुस्तक में ऋण वापसी राशि को दर्ज करना है।
- नियमित ऋण वापसी हेतु सदस्यों को प्रेरित करना है।
- बैंक ऋण राशि का नियमित भुगतान करना है।




5- नियमित पुस्तक संचालन :- समूह में होने वाले चर्चा, कार्यवाही का दस्तावेजिकरण नियमित रूप से नहीं होने से निम्नानुसार नुकसान होता है:

- समूह की आर्थिक स्थिति मालूम नहीं होती है।
- सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी मालूम नहीं होती है।
- समूह के नियमों को पालन करने का अनुशासन बनता है।
- बाहरी संस्था से आर्थिक सहायता मिलने में दिक्कत होती है।
- समूह में पारदर्शिता नहीं आती है।
- सदस्य एवं समूह के जीवन में आया बदलाव नहीं पता चलता है।

सदस्यों की भूमिका :

- बैठक में व्यक्तिगत पास पुस्तक के साथ आना है।
- बचत एवं लेनदेन को पुस्तक में दर्ज करवाना है।
- बैठक के अंत में हस्ताक्षर करके जाना है।



समूह की भूमिका :

- बैठक में ही सभी पुस्तकों पर लेखन करवाना है।
- प्रशिक्षित पुस्तक लेखक रखना चाहिए।
- पुस्तक लेखन को गौरव मानदेय देना है।
- पुस्तक को संभालकर रखना है।
- मासिक प्रतिवेदन तैयार करवाना चाहिए।

6- खुले में शौच मुक्त :- घर में शौचालय नहीं होने के कारण निम्नलिखित नुकसान होते हैं -

- खुले में शौच करने से वातावरण गंदा होता है।
- गंदगी से गाँव में बीमारियाँ फैलती हैं।
- बारिश में शौच जल स्रोतों तक पहुँच कर जल को दूषित करते हैं।
- मक्खियों के द्वारा भोजन दूषित होता है।
- दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
- महिलाओं को व्यक्तिगत साफ सफाई रखने में दिक्कत आती है।
- सम्मान को ठेस पहुँचती है।



सदस्यों की भूमिका :

- घर में शौचालय का निर्माण करवाना चाहिए।
- सदस्य एवं परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए।
- खुले में शौच मुक्त परिवार होना है।
- शौच के बाद हाथ साफ करना है।
- घर एवं आस पास में साफ-सफाई रखना है।
- भोजन पकाने एवं खाने के पूर्व हाथ साफ (साबुन, राख आदि से) करना चाहिए।
- स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करना चाहिए।
- बच्चों के साफ-सफाई (नहलाना, नाखून, बाल, साफ कपड़े पहनाना आदि) पर विशेष ध्यान देना चाहिए।



समूह की भूमिका :-

- समूह एवं ग्राम स्तर पर स्वच्छता पर जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करना।
- खुले में शौच मुक्त परिवार, गाँव के महत्व के प्रति जागरूकता लाना।
- शौचालय निर्माण हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- शौचालय निर्माण हेतु ऋण/राशि उपलब्ध करना।
- शौचालय की नियमित उपयोग हेतु सदस्यों को प्रेरित करना।
- शौचालय एवं उपयोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना।
- रुके हुए शौचालय निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग देना।



7- शिक्षित समूह :- सदस्य के अनपढ़ होने से निम्नलिखित नुकसान होते हैं। :

- लिखने पढ़ने के कार्य हेतु दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- केवल सीमित कार्य कर पाते हैं।
- नई तकनीक जैसे- एटीएम, मोबाईल आदि के इस्तेमाल में दिक्कत।
- बच्चों को पढ़ाई में मदद नहीं कर पाते हैं।
- आत्मविश्वास में कमी रहती है।
- समाज में सम्मान नहीं मिलता है।

सदस्यों की भूमिका :

- सदस्य को साक्षर होना चाहिए।
- सदस्य द्वारा बच्चों (लडका, लडकी) को नियमित रूप से आंगनबाड़ी, स्कूल आदि में भेजना है।
- सदस्य का परिवार शिक्षित होना है।



समूह की भूमिका :

- समूह द्वारा सदस्य एवं गांव में शिक्षा के प्रति जागस्कता फैलाना।
- पदाधिकारियों द्वारा अनपढ़ सदस्य को साक्षर बनाना।
- बच्चों को शिक्षण संस्थान से जोड़ना।
- आंगनबाड़ी, स्कूल से संपर्क कर गुणवत्ता में सुधार लाना।
- स्कूलों में पृथक महिला शौचालय हेतु दबाव बनाना।
- शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।



8- नशामुक्त समूह :- परिवार में सदस्य द्वारा नशापान करने से होने वाले नुकसान का विवरण निम्नानुसार है :

- स्वस्थ खराब होता है।
- फिजुल खर्च होता है।
- परिवारिक विवाद या झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है।
- समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है।
- तश्की के शस्ते सीमित हो जाते हैं।
- बच्चों का विकास प्रभावित होता है।
- परिवार का उधार या कर्ज के चंगुल में फँसने की संभावना बढ़ जाती है।



सदस्यों की भूमिका :

- सदस्य द्वारा नशापान नहीं करना चाहिए।
- सदस्य का परिवार नशीली वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय नहीं करना चाहिए।
- नशामुक्त परिवार होना चाहिए।



समूह की भूमिका :

- समूह एवं ग्राम स्तर पर जागस्कता एवं प्रचार-प्रसार।
- समूह में नशापान के खिलाफ शपथ दिलवाना।

- गाँव में नशीली वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय पर प्रतिबंध लगवाना।
- नशामुक्त समूह एवं ग्राम बनाने हेतु पहल करना।


9- स्वास्थ्य :- सदस्यों के अस्वस्थ/ बीमार होने पर निम्नलिखित नुकसान होते हैं :

- रोजगार या काम पर नहीं जा पाता है।
- कमजोर स्वास्थ्य से उत्पादकता में कमी आती है।
- कम आय/मजदूरी प्राप्त होता है।
- ईलाज एवं दवाई में खर्च बढ़ जाता है।
- आत्मविश्वास में कमी रहती है।
- गंभीर बीमारी होने से परिवार पर बोझ।
- समाज में सम्मान नहीं मिलता है।



सदस्यों की भूमिका :

- सदस्य का स्वास्थ्य कार्ड /स्मार्ट कार्ड होना है।
- गर्भवती सदस्य का पंजीयन एवं नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना है।
- गर्भावस्था के दौरान नियमित टीकाकरण करवाना एवं दवाईयां लेनी चाहिए।
- सदस्य एवं परिवार में होने वाले प्रसव को स्वास्थ्य केंद्र में कराना चाहिए।
- शिशु का नियमित स्वास्थ्य जांच एवं संपूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए।
- छः माह तक बच्चों को नियमित रूप से माँ का दूध पिलाना है।
- दो बच्चों के बीच में तीन वर्ष का अंतराल होना चाहिए।
- परिवार नियोजन की जानकारी एवं सामाग्री मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर उपयोग करना चाहिए।



समूह की भूमिका :

- स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार।
- सदस्यों को स्वास्थ्य कार्ड/स्मार्ट कार्ड बनवाने में सहयोग करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- योजनाओं (जननी सुरक्षा योजना, महतारी एक्सप्रेस आदि) की जानकारी एवं लाभ दिलवाना।
- गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जाँच हेतु प्रेरित करना।
- परिवार नियोजन के साधनों पर जानकारी एवं उपयोग को बढ़ावा देना।
- मितानिन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियमित रूप से बैठक में बुलाना एवं जानकारी प्राप्त करना।



10- सुपोषित समूह :- घर में बच्चे एवं महिलायें सुपोषित नहीं रहने से निम्नलिखित नुकसान होते हैं :

- जल्दी बीमार होते हैं।
- वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती है।
- ईलाज एवं दवाईयों पर खर्च करना पड़ता है।
- तरक्की के रास्ते सीमित हो जाते हैं।
- दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- समाज में सम्मान नहीं मिलता है।



सदस्यों की भूमिका :

- गर्भवती सदस्य एवं बच्चों को आंगनवाड़ी से पूरक पोषण आहार प्राप्त कर उपयोग करना चाहिए।
- मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा शिशु का स्वास्थ्य जाँच कराना है।
- बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को नियमित अंतराल में भोजन करना चाहिए।
- नियमित संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए।



- सदस्य को एनीमिक नहीं होना चाहिए।
- सदस्य का बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए।
- प्रारंभ से शिशु को स्तनपान कराना है।
- सदस्य के घर में किचन गार्डन होना चाहिए, जिससे कि परिवार को फल एवं सब्जी उपलब्ध हो सके।

समूह की भूमिका :

- समूह एवं गाँव स्तर पर जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।
- मितानिन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य अन्य कार्यकर्ता, स्वस्थ व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने हेतु करना।
- सदस्यों के घर में किचन गार्डन बनवाना।
- स्तनपान को बढ़ावा देना।
- सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना।



11- ग्राम सभा में सहभागिता :- सदस्य द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित एवं सहभागी नहीं होने के निम्नानुसार कारण हैं :

- योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
- योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ता है।
- देर से या अंत में योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।
- मनमानी या करीबियों को लाभ पहुँचाना।
- कोशम का पूरा नहीं हो पाना।

सदस्यों की भूमिका :

- सदस्य को प्रत्येक ग्राम सभा में उपस्थित होना एवं सक्रिय रूप से भाग लेना है।
- अपनी समस्याओं को ग्राम सभा में रखना चाहिए।
- सदस्य के पास जॉब कार्ड होना है।
- ग्राम पंचायत द्वारा क्रियांवित कार्यों में सहयोग प्रदान करना।



समूह की भूमिका :

- समूह एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार।
- ग्राम सभा बैठक की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाना।
- सदस्यों के साथ ग्राम सभा बैठक में उपस्थित होना।
- महिलाओं, समूह, गाँव की समस्याओं को ग्राम सभा में रखना।
- हितग्राही चयन में पात्र सदस्यों को लाभ पहुँचाना।
- आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल का गुणवत्तापूर्ण संचालन पर चर्चा करना।



मूल्यांकन (फीडबैक)

उद्देश्य - प्रतिभागियों के सुझावों को पता लगाना ताकि भविष्य में बेहतर आयोजन किया जा सके।

विधि - सहभागी चर्चा, प्रपत्र भरकर।

आवश्यक सामग्री - बोर्ड, चार्ट, बोर्ड मार्कर।

प्रशिक्षण के बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक जरूर लिया जाना चाहिये। प्रतिभागियों से प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न पक्षों पर जानकारी हासिल करना की प्रशिक्षण से क्या समझ बनी, क्या नई जानकारी मिली, किन क्षमताओं का विकास हुआ, प्रशिक्षण की कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी, किस विषय पर समझ ज्यादा बनी और किस विषय पर समझ कम बन सकी, प्रशिक्षण देने का तरीका उन्हें कैसे लगा, प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिये उनके क्या सुझाव हैं। साथ ही यह भी जानता कि भोजन, आवास एवं अन्य व्यवस्थाएं कैसी थी।